संख्या :- 416/XXXIV/2016-39 /2010

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,

2. मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाँऊमण्डल,
उत्तराखण्ड।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

4. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग देहरादून दिनांकः 08 नवम्बर, 2016

विषयः– हिल्ट्रान कैल्क केन्द्रों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रशिक्षण के संबंध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिल्ट्रान द्वारा संचालित योजना हिल्ट्रान कैल्क के अन्तर्गत कैल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शासनादेश सं0-296/39/XXXIV/सू0प्रौ0/2010 दिनांक 22 नवम्बर, 2010 के द्वारा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिल्ट्रान को प्रशिक्षणदाता एजेन्सी नामित किया गया था। वर्तमान में चल रहे कैल्क केन्द्रों की सूची सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

हिल्ट्रान को बन्द किये जाने के निर्णय के कम में यह निर्णय भी लिया गया था कि राज्य में चल रहे विभिन्न हिल्ट्रान कैल्क केन्द्र यथावत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन चलते रहेंगे व सूचना प्रौद्योगिकी व ई–गवर्नेन्स के क्षेत्र में प्रशिक्षण पूर्ववत प्रदान करते रहेंगे।

ऐसा संज्ञान में आया है कि हिल्ट्रान के बन्द किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप हिल्ट्रान कैल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्य करते रहने को लेकर विभागों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिल्ट्रान कैल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र यथावत चलते रहेंगे तथा राज्य के समस्त विभागों से अपेक्षा की जाती है कि उक्त शासनादेश के आलोक में सूचना प्रौद्योगिकी व तत्संबंधित प्रशिक्षण के कार्य हिल्ट्रान कैल्क केन्द्रों के माध्यम से सम्पादित कराये जायें।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

HIL/427/09-11-16

IT-GO- 2016-S

संख्या :– 416 / XXXIV / 2016–39 / 2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, हिल्ट्रान, देहरादून।
6. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून।
7. निदेशक, उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
सचिव।

IT-GO- 2016-S